


6-6-18

पजावली बमुकाम कैम्प झाफली -
-रुलां मे पेश हुई।
वादीनी के वकील उपस्थित।
वादीनी के अधिवक्ता द्वारा नया वाद
प्रस्तुत करने की अनुमति की आज्ञा चाही
जो दी जाती है। वादीनी नया वाद
प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। इस आधार
पर अस्त वाद जारी किया जाएगा।
पजावली कैम्प मुमा
है पश्चिम दफ्तर है।


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

नया वाद
प्रस्तुत करने
की अनुमति
के प्रस्तुत
जारी किया
जावे

(अधिवक्ता)